## Registration of OBC candidates in Employment Exchanges in Delhi

6328. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI JANARDAN YADAV:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Director General Employment and Training has not issued instructions to the Employment Exchanges functioning in Delhi/New Delhi for registration of the candidates belonging to Other Backward Classes in civil posts and services under Government of India:
- (b) if so, why the concerned Sub-Regional Employment Officers are taking plea that Government instructions on this issue are still awaited:
- (c) the action contemplated in the matter; and
- (d) how many vacancies in Group 'D' post of OBC are lying pending in Curzon Road Sub-Regional Employment Exchange, Delhi which belong to Central Govvernment departments?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) As per instructions to all the employment exchanges, all citizens of India resident in the country are eligible for registration at the employment changes for employment assistance.

- (b) and (c) Does not arise.
- (d) 48 vacancies

बौड़ी मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधायें

6329. मौलाना श्रोबैदल्ला आजमी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कूपाकरगकि:

- (क) क्या यह सच है कि मजदरों को अपर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं :
- (ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है और उसका ब्योरा क्या है ;

- (ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की ग्रावास समस्या को हल करने में ग्रभी तक भी वाछित प्रगति नहीं हो पायी है ;
- (घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं श्रौर उत्तर प्रदेश में बीडी मजदरों की समस्यात्रों का ब्यौरा क्या है ; ग्रीर
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा):(क) ग्रौर (ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ) बीड़ी कमकारों के लिए ग्रपना मकान स्वंय बनाम्रों योजना (बी.वाई.ग्रो.एच.) के ग्रंतर्गत मकान बनाने के लिए बीड़ी कर्मकारों की बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि स 1000/-- र. की ग्रार्थिक सहायता तथा 6000/-ए. ब्याज मक्त ऋण की ग्रदायगी की जाती है। पावता के लिए शर्त यह है कि बीड़ी कर्मकार के पास वैयक्तिक रूप से भ्रपने परिवार के साथ संयुक्त रुप से ग्रपने मालिकाना हक वाली 60 वग गज भूमि का कब्जा होना चाहिए । ग्रब ग्रार्थिक सहायता के संघटक तथा ब्याज मुक्त ऋण को बढ़ाकर ऋमश: 3000/- र. तथा 10,000/- र. किए जाने का निर्णय लिया गया है।

ब्रार्थिक **रु**प में कमजोर वर्गो (ई डब्ल्यु०एस.) के लिए स्रावास योजना के श्रंतगत जिन मामलों में राज्य सरकार स्थानीय निकायों द्वारा भिम ग्राबंटित की जाती है उनमें बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से 5,000/- रु. की ग्राधिक सहायता ग्रथवा वास्तविक व्यय का 50%जो भी कम हो, जमा साधारण/काली कपास अथवा उभरी मिट्टी के लिए 800/- रु. 1,000/ रु. की दर सें भमि विकास प्रभार का भुगतान किया जाता है। ग्रब कुल मिलाकर 9,000/-ह. ग्रथवा वास्तविक व्यय का 50% जी भी कम हो, का भूगतान करने का निर्णय लिया गया है।